बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–::कार्यालय आदेश::–

का0आ0–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0....................../, पटना–15, दिनांक..........................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवा निवृत कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–3(3)(ख) के आलोक में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 18.01.2018 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सेवानिवृत होने वाले/सेवानिवृत सहायकों को उनके नाम के सामने स्तम–06 में अंकित विभाग में सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम	पद नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियोजन का विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	श्री बद्री नारायण	सहायक	01.10.1957	30.09.2017	आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया
2	श्री गणेश प्रसाद	सहायक	15.08.1957	31.08.2017	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना
3	श्री हरिश्चन्द्र मिश्र	सहायक	18.03.1958	31.03.2018	बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना
4	श्री चतुर्गुण प्रसाद	सहायक	17.04.1957	30.04.2017	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेने की शर्त्त के साथ नियोजित।)
5	श्री वाशुकी नाथ मिश्र	सहायक	03.11.1955	30.11.2015	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
6	श्री भगवान पंडित	सहायक	11.01.1957	31.01.2017	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7	श्री ईश्वरी प्रसाद	सहायक	10.02.1957	28.02.2017	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
8	श्री इन्द्र देव प्रसाद	सहायक	29.01.1958	31.01.2018	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
9	श्री कमलेश कुमार	सहायक	12.01.1958	31.01.2018	वित्त विभाग, बिहार, पटना
10	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	सहायक	10.11.1957	30.11.2017	वित्त विभाग, बिहार, पटना।

2. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित

मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

7. इन सेवानिवृत सहायको को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

8. इन सेवानिवृत सहायको को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/–
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0........................../, पटना–15, दिनांक......................

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटन/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–15)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी सेवानिवृत सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 60........./, पटना–15, दिनांक 15.2.18

प्रतिलिपिः– आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.2.18
सरकार के अवर सचिव।